FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु .... मुकाम ....

हरखाराम वगैरा बनाम बालूराम वगैरा

किस्म मुकदमा 111, 128 RLA Act 31/12/2020 नं. 387/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/12/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री नरपत प्रजापत ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 09/03/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
09/03/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील कदम तामील अप्राप्त। निर्वाचन परिणाम अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 12/04/21 को पेश हो। [initials]	
12/04/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त [illegible] पत्रावली शामिल किया गया। विप्रार्थीगण को तामील अनुपस्थित। [illegible] का पद रिक्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 06/08/21 को पेश हो। [initials]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:12:23 IST
Reason: SelfAttested

06/08/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल इन्तकाल होकर आगामी दिनांक 29/11/2021 को पेश हो।

29/11/21 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 में व्यस्त होने से मिसल इन्तकाल होकर आगामी दिनांक 30/11/2021 को पेश हो।

30/11/2021 पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प ग्राम पंचायत डोमरिया में रखी गई प्रार्थी वकील उपस्थित/विपार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपार्थीगणों की खातेदारी भूमि सेढा मेड आई हुई है। प्रार्थी व विपार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी माडे व कोठे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढो को लेकर प्रार्थी व विपार्थीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढो का सही ज्ञान करने हेतु नेपमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपमबंदी आदेश किया जावें।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पत्थर [illegible] आप स्वयं या किसी भी [illegible] करावें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:12:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2021 / 1364 दिनांकः– 30/11/21

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. हरखाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 9 जाति जाट, निवासी डुंगरानाडा पटवार मण्डल कुम्पलिया तहसील गिड़ा (बाड़मेर)	1. बाबूराम पुत्र मंगनाराम वगैरा 16 जाति जाट, निवासी डुंगरानाडा पटवार मण्डल कुम्पलिया तहसील गिड़ा (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 387 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – डुंगरानाडा , पटवार मण्डल – कुम्पलिया, तहसील – गिड़ा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 694 / 539 रकबा 65.01 बीघा भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2021 / 1365-69 दिनांकः– 30/11/21

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी हल्का कुम्पलिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री हरखाराम पुत्र पदमाराम वगैरा 9
4. विप्रार्थी श्री बाबूराम पुत्र मंगनाराम वगैरा 16
5. पुलिस थानाधिकारी गिड़ा

उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:12:23 IST
Reason: SelfAttested